भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3488
दिनांक 23 मार्च 2026

सात अवसादी क्षेत्रों में मिशन अन्वेषण

3488 **श्री सतनाम सिंह संधूः**

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन अन्वेषण के अंतर्गत सात अवसादी घाटियों में चल रही अन्वेषण संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति तथा अपेक्षित परिणाम क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भूकंपीय मानचित्रण और अन्वेषण के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और सतत प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) ओएएलपी के दसवें दौर की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और इससे कितना निवेश प्रवाह होने का अनुमान है और ये प्रयास भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य के साथ किस प्रकार मेल खाते हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): दिनांक 28 फरवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार मिशन अन्वेषण के तहत विभिन्न भारतीय बेसिनों में 2-आयामी (2डी) भूकंपीय डेटा का कुल 13,262.52 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) अधिग्रहण किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

कार्यकलाप	बेसिन/क्षेत्र	28.02.2026 तक अधिग्रहण मात्रा (एलकेएम में)
2डी भूकंपीय अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई)	राजस्थान	3683.64
	गंगा-पंजाब	4264.26
	छत्तीसगढ़	659.70
	कडप्पा	1485.30
	कृष्णा-गोदावरी	2594.10
	दक्कन सिनक्लाइज	538.92
	सौराष्ट्र	36.60
कुल		13262.52

मिशन अन्वेषण, बेसिनों की संभावनाओं संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत करेगा तथा इच्छुक अन्वेषण एवं उत्पादन प्रचालकों को बोली लगाने के लिए ब्लॉकों को तैयार करने में सहायता करेगा और अंततः दीर्घकालिक रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करेगा।

(ख): खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) के तहत, केवल ब्लॉक प्राप्त होना ही ब्लॉक प्राप्तकर्ता को वेधन संबंधी गतिविधियां शुरू करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। पर्यावरण सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने हेतु वेधन, केवल पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के तहत अपेक्षित मंज़ूरी के उपरांत ही शुरू किया जा सकता है। ईआईए प्रक्रिया, जो भूमि और अपतट दोनों ही क्षेत्रों में 12 नॉटिकल मील तक विस्तारित है, जिसमें वैज्ञानिक आकलन, आवश्यक तटीय विनियामक क्षेत्र स्वीकृतियां (राज्य प्राधिकरण)/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देश के तहत ये मंजूरी/अनुपालन प्राप्त होने के बाद ही स्थान पर कंपनियाँ सभी अधिदेशित सुरक्षा उपायों के साथ वेधन गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा, प्रचालकों को साइट बहाल नीति और उससे जुड़े दिशानिर्देशो का अनुपालन यह सुनिश्चित करते हुए करना होगा कि प्रचालन पूरा होने के बाद अधिग्रहण की गई भूमि को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल कर दिया जाए।

यह प्रचालन ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और जिम्मेदार अन्वेषण गतिविधि के माध्यम से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(ग): हाल ही में शुरू किया गया ओएएलपी दौर-X जिसकी बोली लगाने की अंतिम तिथि 29.05.2026 है, 13 तलछटी बेसिनों में लगभग 1.82 लाख वर्ग किलोमीटर में 25 ब्लॉकों की पेशकश करता है जो कम रॉयल्टी दरों, बिना किसी तेल उपकर, शीघ्र मुद्रीकरण प्रोत्साहन, पूरी संविदा अवधि हेतु अन्वेषण का अधिकार, स्थिरता और विवाद-समाधान सुरक्षा उपाय, बुनियादी ढांचे को साझा करने, राष्ट्रीय तेल कंपनियों और निजी कंपनियों के बीच क्षेत्र विकास हेतु सहयोग और स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके अन्वेषण को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे यह व्यवस्था नई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के अनुरूप निजी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होगा, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। निवेश संबंधित प्रवाह, पूर्व-निर्धारित नहीं है और यह बोली प्रक्रिया के परिणाम, आवंटित ब्लॉकों की संख्या और सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रतिबद्ध अन्वेषण कार्य कार्यक्रमों पर निर्भर करेगा।

*****